



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-515/MH/20/2022-ESDW

दिनांक: 18.01.2023

सेवा में,

श्री दिपक त्रयंबक भिल,  
पोस्ट - लोहारा,  
तहसील - पाचोरा,  
जिला - जलगांव,  
महाराष्ट्र


**विषय:** पाचोरा-तहसील स्थित गट न. 18 पर कृषि कार्य करने के मामले में वन विभाग के अधिकारी द्वारा अभ्यावेदक को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में श्री दिपक त्रयंबक भिल, पोस्ट - लोहारा, तहसील - पाचोरा, जिला - जलगांव, महाराष्ट्र का दिनांक 13.06.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 03.02.2023 को अपराह्न 12:00 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

  
(एस. पी. मीना)  
उप-निदेशक